राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

निविदा प्रपत्र

टेण्डर फार्म नं.

अंतिम दिनांक 16.07.09

1. संविदा करने वाली फर्म का नाम व पता :
2. जिसको सम्बोधित किया गया :– सचिव, राज. लोक सेवा आयोग,अजमेर
3. संदर्भ : निविदा सूचना संख्या 703 दिनांक 25.06.09
4. निविदा शुल्क की राशि 100/– नगद रसीद संख्या......................दिनांक............. द्वारा/रेखांकित पोस्टल ऑर्डर संख्या...........................के द्वारा जमा करा दी गयी है।
5. हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 703 दिनांक 25.06.09 में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इसके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है।)
6. कम्प्यूटर सम्बधी सभी निम्न कार्यों की दर (एक मुश्त) है व कम्प्यूटर का विवरण :–

क्रं.सं.	कम्प्यूटर का विवरण	दर प्रति माह	विशेष विवरण
1.	कम्प्यूटर :– Pentium P IV/ Equivalent AMD Computer or higher, RAM 512 MB/1GB, Hard Disk 80GB or more 15" Monitor/TFT, 10/100 Mbps LAN Card CD/DVD Writer, Standard Key Board, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB Ports Windows XP/Vista, Anti Virus, Preinstalled MS Office.		
2.	सॉफ्टवेयर :– Operating System (Window-XP), (Preloaded) MS- Office Complete, Fox Pro-2. ANTIVIRUS Software Hindi Fonts		
3.	प्रिंटर– LASER PRINTER (MONO)		
4.	यू.पी.एस. 0.5 KVA		

निविदा की सामान्य शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. उपरोक्त सभी आइटम्स मय ऑपरेटर के किराये की दरें प्रति माह प्रति कम्प्यूटर के हिसाब से देनी होगी। अग्रिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा। दरें एक वर्ष तक मान्य होगी। निविदा कार्य संतोषप्रद नही होने की दशा में अनुबंध तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा। आपसी सहमति से अनुबंध आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। निविदा के साथ 10,000/– रूपये बयाना राशि के रूप में जमा कराना होगा इसके बगैर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. स्थापित किये जाने वाले कम्प्यूटर में इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा भी होनी चाहिये।
3. किराया अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्पूर्ण डेटा को सी.डी. में तैयार कर उपलब्ध करवाना होगा तथा हार्ड डिस्क से सम्पूर्ण डेटा को हटाना होगा।
4. ऑपरेटर को सॉफ्टवेयर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिये एवं कम्प्यूटर परिचालन मे पूर्ण दक्षता होनी चाहिये। साथ ही शैक्षिक योग्यता स्नातक और हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण का भी ज्ञान होना अति–आवश्यक है। एक वर्ष का कम्प्यूटर परिचालन का अनुभव होना भी आवश्यक है।
5. न्यूनतम दरों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पास सुरक्षित है।
6. सफल निविदादाता को रूपये 100/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध भी करना होगा तथा अमानत के रूप में कार्य राशि का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करवानी होगी।
7. कार्य में पूर्ण गोपनीयता बनाये रखनी होगी।
8. कालतिरोहित निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
9. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा। एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।

10. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिये। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जायेगा।
11. उपकरण स्थापित करने के लिये स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेगें।
12. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिटंर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
13. किसी भी माह में एक कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। एक से अधिक कार्य दिवस में कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी तकनीकी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन प्रति कम्प्यूटर 100/- रूपये की कटौति की जावेगी।
14. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकात होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
15. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी।
16. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
17. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।
18. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जायेगा।
19. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जिलें अजमेर मे स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।
20. All Software including Pre- loaded are legal & Carry Liesences. The update of the ANTIVIRUS Software as applicable would be supplied time to time.
21. पेन नम्बर ______________

निविदादाता के हस्ताक्षर

कम्प्यूटर सम्बंधी विभिन्न कार्यो हेतु संविदा

अनुबंध पत्र

यह करार आज दिनांक........................को मैसर्स..(संविदाकर्ता फर्म का नाम) जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुमोदित प्रथम पक्ष कहा गया है। जिसे अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में अनुकूल हो सके इसके वारिस उत्तराधिकारी निष्पादक तथा प्रथम पक्ष सम्मिलित कियें जायेगें। दूसरी और राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर कहा गया है। जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में अनुकूल हो इसके उत्तराधिकारी तथा अभिहस्ताक्षरित सम्मिलित समझे जावेगें, के बीच कम्प्यूटर सम्बंधी विभिन्न कार्य सम्पन्न करने हेतु किया गया है।

इस अनुबंध की शर्तें निम्नलिखित होगी :–

1. संविदा कर्ता फर्म (प्रथम पक्ष) द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये कम्प्यूटर सम्बंधी सभी कार्य की दी गई दरों के अनुसार करना होगा। संविदाकर्ता को निर्धारित दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के भत्ते देय नही होगें।
2. संविदाकर्ता फर्म (प्रथम पक्ष) द्वारा निविदा की शर्तो का पूर्ण रूप से पालन करना होगा जो इस अनुबंध का भाग होगा।
3. ड्यूटी के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना/क्षति का पार्टी संख्या दो द्वारा कोई मुआवजा नही दिया जावेगा।
4. कम्प्यूटर कार्य के लिये रू................प्रतिमाह प्रति आपरेटर मय कंम्प्यूटर की दर से परिश्रमिक दिया जावेगा।
5. संविदा कर्ता फर्म द्वारा यदि निर्धारित समय पर कार्य सम्पन्न नही किया जावेगा तो उसे नियमानुसार पैनल्टी देनी होगी। पैनल्टी का निर्धारण कार्य के अनुसार द्वितीय पक्ष द्वारा किया जावेगा।
6. संविदाकर्ता कम्प्यूटर कार्य करने हेतु अनुभवी व्यक्तियों को लगाया जायेगा जिन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये।
7. संविदाकर्ता को द्वितीय पक्ष द्वारा बताये गये कार्यालय समयानुसार कार्य करना होगा इसके अतिरिक्त राजकीय अवकाशों में यदि कार्य करवाने की आवश्यकता हुई तो उसका भुगतान अलग से नही किया जावेगा।
8. कार्य संतोषजनक होने बाबत् प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अनुभाग के अनुभाग अधिकारी /प्रभारी अधिकारी से लिया जावेगा। प्रमाणीकरण पश्चात् ही बिल पारित कर भुगतान किया जावेगा।
9. संविदाकर्ता फर्म द्वारा आयोग की गोपनीयता भंग करने में लिप्त पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
10. अनुबंध की अवधि छः माह तक मान्य होगी तथा कार्य संतोष जनक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक बढाई जा सकती है।
11. अनुबंध दिनांक..........................से दिनांक..........................तक किया जा रहा है। जिसे आवश्यक समझा गया तो दोनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदाकर्ता प्रथम पक्ष द्वारा स्थाईकरण एवं अन्य सुविधाओं हेतु किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही किया जायेगा
13. किसी भी कारण से विवाद उत्पन्न होने पर आयोग के सचिव (द्वितीय पक्ष) का निर्णय अंतिम होगा।
14. भुगतान पर टैक्स कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा भुगतान नगद नही देकर बैक के माध्यम से दिया जावेगा।
15. अनुबंध पत्र के साथ प्रतिभूमि राशि रू...........................जमा करवा दिये गये है। जिसकी रसीद नं....................दिनांक.......................है।

    इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक ....को अपने हस्ताक्षर किये।

साक्षी :– 1.

हस्ताक्षर अनुमोदित संविदाकर्ता
(प्रथम पक्ष)

साक्षी :– 2.

साक्षी :– 1.

साक्षी :– 2

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
(द्वितीय पक्ष)